

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

संचिका सं०-वा०कर/कम्प्यु/34/2019-131
प्रेषक,

राँची/दिनांक- 12.01.2021

संजय कुमार,
राज्य-कर संयुक्त आयुक्त।

सेवा में,
प्रोजेक्ट मैनेजर,
टी. सी. एस. राँची।

विषय:-पेशाकर अधिनियम के भुगतान में आ रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक TCS/JH-VAT/2020/63 दिनांक 11.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पेशा कर के भुगतान के संदर्भ में वर्तमान में लागू Validation (पूर्व के अवधि के पेशा कर भुगतान के पश्चात ही वर्तमान अवधि का भुगतान होना) को दिनांक 15.01.2021 तक शिथिल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। इस तिथि के पश्चात पूर्व की व्यवस्था लागू हो जायेगी।

उक्त आदेश पर सचिव महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

12.1.21
राज्य-कर संयुक्त आयुक्त